

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष न०:- 01501226005

ईमेल-sdo.srikanpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2025/932


दिनांक :- 22.12.2025

तहसीलदार (राजस्व),  
श्रीकरणपुर।

**विषय:-** प्रकरण संख्या 35/2025 अनवान आरती शर्मा बनाम  
राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में  
पारित निर्णय दिनांक 22.12.2025 के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित प्रार्थना पत्र धारा 251ए आरटीए निर्णय दिनांक 22.12.2025 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 47 एफ ए, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 4 की उतरी बट के साथ 30X65 वर्गफीट भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि रास्ता कायम कर मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एवं मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये।



  
[श्रीराम (आर.ए.एस.)]  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर